प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.02.2025

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.02.2025 को वादी द्वारा थाना अंकुर विहार पर तहरीर दी कि इमरान नाम का लडका मेरी बहन उम्र करीब 17 वर्ष को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा-137(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर पीडिता की सकुशल बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। तत्पश्चात दिनांक 13.02.2025 को पीडिता की बरामदगी की गई एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी गयी।

आज दिनांक 15.02.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इमरान पुत्र मौ0 इसराफिल निवासी सुनहरी मस्जिद के पास थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को लाल बाग ठेके के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्त इमरान उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं और पीडिता हम दोनों एक ही मौहल्ले में रहते है तथा करीब 03 वर्षों से एक-दूसरे को जानते है। मैं उसे अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

इमरान पुत्र मौ0 इसराफिल निवासी सुनहरी मस्जिद के पास थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.05.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिया की पुत्री उम्र-17 वर्ष को बहला-फुसलाकर ले जाना। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा-363 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए तत्काल पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 17.05.2024 को पीडिता को बरामद किया गया तथा पीडिता का तत्काल मेडिकल कराते हुए बयानों व साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-323/506/376 डी भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई।

आज दिनांक 15.02.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दयासागर पुत्र भोलाराम निवासी जहांगीरपुरी दिल्ली को ताज हाईट के सामने पुस्ता रोड थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं वादिया की पुत्री से वर्ष-2024 में इंस्टाग्राम के जरिये मिला था। उसके बाद हमारी लगातार बातचीत व मिलना-जुलना होता रहा। दिनांक 09.05.2024 को मैं उसे अपने कमरे पर ले गया था जहां मैंने व मेरे दोस्त ने उसके साथ गलत काम किया था। मैंने वादिया की पुत्री को धमकी दी थी कि यह बात किसी को मत बताना परन्तु उसने यह बात अपने घर बता दी थी, मैं डर के कारण पुलिस से बचने के लिए छुप गया था। आज मैं अपने एक दोस्त के यहाँ से अपना कुछ सामान लेने चोरी छिपे निकला था कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

दयासागर पुत्र भोलाराम निवासी जहांगीरपुरी दिल्ली, उम्र करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

स्वॉट, सर्विलांस टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा घर का ताला तोड़कर आभूषण व रुपये चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से सोने व चादी के आभूषण व 4,70,000/- रुपये नगद बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 12.02.2025 को थाना लिंकरोड़ पर वादी तरूण माहेश्वरी पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद माहेश्वरी निवासी ए-06 सूर्यनगर कॉलोनी थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे घर का ताला तोड़कर 7,00,000/- रुपये नगद व 65 से 70 लाख रूपये के सोने व चांदी के आभूषण, 02 मोबाइल फोन चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना लिंकरोड पर धारा 305,331(4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कराया था। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर स्वॉट, सर्विलांस टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रफीक पुत्र खलील उर्फ शहादत निवासी म0नं0 119 शास्त्री पार्क थाना उस्मानपुर, दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष को रामपुरी रेलवे लाइन के पास थाना लिंकरोड से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी किये हुये 4,70,000/-रुपये नगद व ज्वैलरी जिसमें 1. पूसा का थाडा चाँदी 01 सैट, 2. डायमण्ड पैन्डेट सैट-02 सैट, 3. दो चूडी हीरा पन्ना व 04 चूडी सोने की व 01 डायमण्ड ब्रेसलेट, 4. पैंडेन्ट सैट डायमण्ड मोती -01 सैट, 5. कुन्दन पोलकी हाथ के -02, 6. हीरा मोती कंप्लीट 01 सैट, 7. डायण्ड सोने की अंगूठी -08, 8. डायमण्ड गोल्ड -टोक्स-02, 9. मोती, सोना, स्टोन रिंग -2, 10. सोना , रूबी, डायमण्ड रिंग -04, 11. सोना, डायमण्ड मंगलसूत्र-01, 12. सोना डायमण्ड नेकलेस-01, 13. सोना डायमण्ड नेकलेस-01, 14. सोना

चैन डायमण्ड नैकलेस ओम-01, 15. गोल्ड तुलसीमाला-01, 16. गोल्ड चैन-01, 17. गोल्ड चैन-01, 18. गोल्ड मोती नेकलेस सैट-01, 19. गोल्ड नैकलेस -01, 20. चैन गोल्ड रूबी, पन्ना-01, 21. गोल्ड रूबी सैट पार्ट-06 पीस, 22. डायमण्ड गोल्ड केयर रिंग-01, 23. गोल्ड केयर रिंग-01, 24. गोल्ड डायमण्ड स्टोन Caring-01, 25. सोना पन्ना पैडेंट-01 पी, 26. सोना पन्ना Caring-01 पीस, 27. सोना नेक पीस-01, 28. चाँदी बिछया -04, चाँदी पाजेब-04, 29. सोना पन्ना 01 सैट, 30. डायमण्ड टोक्स 02 पीस, 31. गिन्नी सैट सोने का with रिंग कुल 04 पीस, 32. पैंडल सैट सोना व स्टोन-03 पीस, 33. पैंडल सैट सोना व डायमण्ड -03 पीस, 34. डायमण्ड गोल्ड टोप्स -02 पीस, 35. डायमण्ड गोल्ड टोप्स-02 पीस, 36. सोना पैंडेंट -01, 37. सोना मोती टोप्स -02 पीस, 38. डायमण्ड टोप्स -02 पीस, 39. सोना, हीरा , रूबी , डायमण्ड टोप्स- 02 पीस, 40. डायमण्ड सोना टोप्स-02 पीस, 41. डायमण्ड गोल्ड पैंडेंट- 01 , 42 गोल्ड रूबी पैडेंट सैट -03 पीस, 43. डायमण्ड गोल्ड टोप्स -02 पीस, 44. मोती सोना टोप्स -02, 45. डायमण्ड लोंग रिंग-01 बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त रफीक पुत्र खलील उर्फ शहादत के विरुद्ध अभियोग उपरोक्त की धाराओं में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त रफीक पुत्र खलील उर्फ शहादत से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त रफीक व उसका भाई जमील दोनों नशे के आदी है तथा अपना शौक पूरा करने के लिये घरों की रैकी करके मौका पाकर रात या दिन के समय में घरों के अन्दर चोरी की घटना को अंजाम देते है तथा पुलिस द्वारा पकडे जाने के डर से चोरी गये सामान को किसी दुकानदार या ज्वैलर्स को न बेचकर राह में आने जाने वाले व्यक्तियों को सस्ते दामो में बेच देते है। उनसे मिलने वाले रूपयों से अपना खर्चा व नशा आदि करते है। दिनांक 12.02.2025 की सुबह के समय मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त रफीक पुत्र खलील उर्फ शहादत द्वारा अपने भाई जमील के साथ मिलकर सूर्यनगर कॉलोनी थाना लिंकरोड जो दिल्ली बार्डर से लगी हुई है के पास स्थित तीन मंजिला मकान में दीवार से कूदकर मकान का शीशे के दरवाजे का ताला तोडकर घर में घुसकर रूपये व सोने चाँदी व हीरे मोती आदि के आभूषण व अन्य सामान चोरी किये गये थे। चोरी के समय अभियुक्त रफीक पुत्र खलील उर्फ शहादत घर के बाहर ही दूर से आने जाने वाले राहगीरों व पुलिस की रैकी कर रहा था जिससे कोई खतरा होने पर यह दोनों मौके से बचकर भाग सके तथा जमील द्वारा घर के अन्दर कूद कर घटना कारित की गयी थी। चोरी करने के बाद यह दोनो वहाँ से फरार हो गये। आज अभियुक्त रफीक पुत्र खलील उर्फ शहादत चोरी की हुई ज्वैलरी को बेचकर मिलने वाले पैसों तथा जो घर से चोरी किये हुये 4,70,000/- रुपये को लेकर पुलिस की पहुंच से बहुत दूर जाने की फिराक में था, जिसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। चोरी किये गये शेष सामान के बार में पूछताछ की गयी तो अभियुक्त रफीक पुत्र खलील उर्फ शहादत ने बताया कि बाकी सामान मेरा भाई जमील लेकर फरार हो गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. रफीक पुत्र खलील उर्फ शहादत निवासी म0नं0 119 शास्त्री पार्क थाना उस्मानपुर, दिल्ली उम्र 30 वर्ष।
2. जमील पुत्र खलील उर्फ शहादत निवासी म0नं0 119 शास्त्री पार्क थाना उस्मानपुर, दिल्ली। (वांछित)

बरामदगी का विवरणः-

1. पूसा का थाडा चाँदी-01 सैट, 2. डायमण्ड पैन्डेट सैट-02 सैट, 3. दो चूडी हीरा पन्ना व 04 चूडी सोने की व 01 डायमण्ड ब्रेसलेट, 4. पैंडेन्ट सैट डायमण्ड मोती -01 सैट, 5. कुन्दन पोलकी हाथ के -02, 6. हीरा मोती कंप्लीट

01 सैट, 7. डायण्ड सोने की अंगूठी -08, 8. डायमण्ड गोल्ड -टोक्स-02, 9. मोती, सोना, स्टोन रिंग -2, 10. सोना , रूबी, डायमण्ड रिंग -04, 11. सोना, डायमण्ड मंगलसूत्र-01, 12. सोना डायमण्ड नेकलेस-01, 13. सोना डायमण्ड नेकलेस-01, 14. सोना चैन डायमण्ड नैकलेस ओम-01, 15. गोल्ड तुलसीमाला-01, 16. गोल्ड चैन-01, 17. गोल्ड चैन-01, 18. गोल्ड मोती नेकलेस सैट-01, 19. गोल्ड नैकलेस -01, 20. चैन गोल्ड रूबी, पन्ना-01, 21. गोल्ड रूबी सैट पार्ट-06 पीस, 22. डायमण्ड गोल्ड केयर रिंग-01, 23. गोल्ड केयर रिंग-01, 24. गोल्ड डायमण्ड स्टोन Caring-01, 25. सोना पन्ना पैडेंट-01 पी, 26. सोना पन्ना Caring-01 पीस, 27. सोना नेक पीस-01, 28. चाँदी बिछया -04, चाँदी पाजेब-04, 29. सोना पन्ना 01 सैट, 30. डायमण्ड टोक्स 02 पीस, 31. गिन्नी सैट सोने का with रिंग कुल 04 पीस, 32. पैंडल सैट सोना व स्टोन-03 पीस, 33. पैंडल सैट सोना व डायमण्ड -03 पीस, 34. डायमण्ड गोल्ड टोप्स -02 पीस, 35. डायमण्ड गोल्ड टोप्स-02 पीस, 36. सोना पैंडेंट -01, 37. सोना मोती टोप्स -02 पीस, 38. डायमण्ड टोप्स -02 पीस, 39. सोना, हीरा , रूबी , डायमण्ड टोप्स- 02 पीस, 40. डायमण्ड सोना टोप्स-02 पीस, 41. डायमण्ड गोल्ड पैंडेंट- 01 , 42 गोल्ड रूबी पैडेंट सैट -03 पीस, 43. डायमण्ड गोल्ड टोप्स -02 पीस, 44. मोती सोना टोप्स -02, 45. डायमण्ड लोंग रिंग-01 व 4,70,000/- रुपये नगद बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त रफीक का आपराधिक इतिहास :-

गिरफ्तार अभियुक्त रफीक पुत्र खलील उर्फ शहादत के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर चोरी व माल बरामदगी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम :-

स्वॉट, सर्विलांस टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाला 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 02.04.2022 को थाना कौशाम्बी पर वादी द्वारा लिखित तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी नाबालिग पुत्री को घर से बिना बताये ले जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी। तत्काल थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा धारा 363 भा0द0वि0 में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 15.02.2025 को उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त अफसर पुत्र अब्दुल रशीद निवासी म0नं0 548 राहुल कॉलोनी थाना एस0जी0एम0 नगर जनपद फरीराबाद मूल पता ग्राम चैनापुरी मिनाक्षी रोड थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ उम्र करीब 28 वर्ष को आनन्द बिहार बॉर्डर बैरियर के पास थाना कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अफसर पुत्र अब्दुल रशीद के विरुद्ध धारा 363 भा0द0वि0 में धारा 376 भा0द0वि0 व 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम की बढ़ौत्तरी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त अफसर पुत्र अब्दुल रशीद उपरोक्त ने पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त अफसर कबाडे का काम करता था। वादी के घर उसका आना जाना था तभी वादी की पुत्री व अभियुक्त अफसर दोनों के बीच दोस्ती हो गयी थी। दिनांक 02.04.2022 को वादी की पुत्री को अपने

साथ भगाकर इलाहाबाद ले गया था। वहां करीब 06 महीने रहने के बाद फरीदाबाद, हापुड, वल्लभगढ हरियाणा आदि स्थानो पर रहने लगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अफसर पुत्र अब्दुल रशीद निवासी म0नं0 548 राहुल कॉलोनी थाना एस0जी0एम0 नगर जनपद फरीराबाद मूल पता ग्राम चैनापुरी मिनाक्षी रोड थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ उम्र करीब 28 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- अभियुक्त अफसर पुत्र अब्दुल रशीद उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर अपहरण का 01 अभियोग दर्ज है। अन्य आपाराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।